न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. बजरंगसिंह चौहान**, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 29 / 2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मदनलाल पुत्र हजारी		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत
2. कवराई पत्नी कानाराम		
3. खेताराम		
4. उम्मेदमल		
5. मिश्रीलाल		
6. कुनाराम		
7. भंवरलाल		
8. पप्पूराम		
9. मोहनलाल पुत्र मगाराम		
10. शान्ति पत्नी केसाराम		
11. गहरी पत्नी कीकाराम		
12. मॉडी पत्नी भंवरलाल		
13. नेमाराम पुत्र केसाराम		
14. खेताराम पुत्र चोथाराम		
15. हजारीराम पुत्र हिम्मताराम		
16. ओमप्रकाश पुत्र वचनाराम		
17. भॅवरलाल पुत्र हिम्मताराम		
18. लक्ष्मणराम पुत्र रामा		
19. प्रकाश पुत्र चुन्नीलाल		
20. बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल		
21. आयचुकी पत्नी भंवरलाल		
22. मूलाराम पुत्र भीकाराम		
23. नारायणलाल पुत्र भीकाराम		
24. उकाराम पुत्र गणाराम		
25. बचनाराम पुत्र केसाराम		
26. बोहराराम पुत्र केसाराम		
27. कान्ता पुत्री हापूराम		
28. मोहनलाल पुत्र केसाराम		
29. गुलाबराम पुत्र नारायणराम		
30. पप्पूराम पुत्र केसाराम		
31. तुलसी पत्नी नेमाराम		
32. कालूराम पुत्र डगराराम		
33. नाथूराम पुत्र डगराराम		

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

34. चकीबाई पत्नी केसाराम
35. वसताराम पुत्र भेराराम
जातिगण गाडिया लोहार
निवासीगण सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2011 सरकार बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम बासना के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 60.81 हैक्टेयर की भूमि का राजस्थान भू राजस्व सहकारी संस्थाओं को भूमि आवंटन नियम 1959 के तहत आवंटन किया गया था। वक्त आवंटन से अपीलाण्ट उक्त भूमि पर सामूहिक रूप से काश्त करते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सोजत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने, एकल कृषि करने एवं सोसायटी का अवसायन होना बताते हुए आवंटन खारिज कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट संस्था के पक्ष में हुए आवंटन को अपास्त किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन ही नहीं किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की है, जिसमें सामूहिक रूप से काश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त जहां तक कब्जे एवं सामूहिक कृषि का प्रश्न है, तो इसकी पुष्टि हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट तलब कराने का विकल्प उपलब्ध था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के कथनों पर भरोषा करते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा अपीलाण्ट सामूहिक कृषि करते है। अपीलाण्ट कालूराम द्वारा पुलिस थाना सोजतसिटी में एक एफ.आई.आर. संख्या 267/14 प्रकाश एवं गोपाराम आदि के विरूद्ध दर्ज करवाई कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मुलजिमान द्वारा अपने निर्धारित आवंटन से अधिक भूमि पर अवैध रूप से खनन कर अतिक्रमण कर रहे है, जिस पर पुलिस थाना द्वारा जांच की गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर न्यायालय में चालान किया गया। इस तथ्य से भी स्पष्ट है, कि अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में आवंटित भूमि को आगे से आगे हस्तान्तरित नहीं किया है तथा न ही आवंटित भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली द्वारा अपीलाण्ट की सोसायटी का पंजीयन निरस्त किया गया था, जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें उप रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जा कर सोसायटी को पुनः अस्तित्व में लाया जा चुका है। इस प्रकार उक्त सोसायटी वर्तमान में प्रभाव में है तथा आवंटन शर्तो की पूर्णतः पालना की जा रही है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को जैर अपील वादस्थ भूमि सामूहिक रूप से काश्त करने हेतु आवंटन हुई थी। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि को पृथक पृथक रूप से काश्त करने हेतु विभाजित कर दिया तथा आगे से आगे हस्तान्तरित भी कर दिया, जो सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन नियम 1959 में विहित शर्तो के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त सहकारी संस्था का पंजीयन भी निरस्त हो चुका है। जिस आदेश के जरिये अपीलाण्ट पंजीयन बहाल होना बता रहे है, उसे अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2016 के जरिये अवसायन में लाया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में समिति का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटन की गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने तथा समिति प्रभावहीन मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये आवंटन को अपास्त कर दिया तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेने के आदेश पारित किए, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में विधिक बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या आवंटी समिति वर्तमान में अस्तित्व में है अथवा नहीं ? इस बिन्दु का निर्धारण ही प्रकरण की दशा एवं दिशा को अवधारित करेगा, इस हेतु इस बिन्दु का विनिश्चय किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के चरण संख्या 4 में यह विवेचित किया कि "उक्त भूमि गाड़िया लुहार सामुहिक कृषि सहकारी समिति के नाम 1959 को आवंटन हुई थी। वर्तमान में इस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। समिति द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सहकारी संस्थाओं को भूमि के आवंटन) नियम 1959 के तहत सहकारी समिति द्वारा आवंटन शर्तो की पालना एवं सामूहिक रूप से काश्त नहीं करने, सोसायटी का अवसायन (लिक्वीडेशन) होने से आवंटन बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।'' अपीलाण्ट का कथन है कि उप रजिस्ट्रार द्वारा समिति के पंजीयन निरस्त करने बाबत पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 के विरूद्ध उनके द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा चुका है। दस्तावेजात् के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ पाली द्वारा आदेश दिनांक 31.03.2005 के जरिये गाडोलिया लुहार सामुहिक कृषि सहकारी समिति, सोजत सिटी के पक्ष में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक/395/T दिनांक 28.03.59 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा इस आदेश को न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) सहकारी समितियां, जोधपुर के समक्ष चुनौती दी गई। जिसमें विद्वान अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 10.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार की एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 31.03.2005 को अपास्त कर दिया। इसी सन्दर्भ में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05. 2016 के द्वारा यह जाहिर किया कि न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) स0स0 जोधपुर ने आदेश दिनांक 10.06.2015 पारित कर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए समिति के पंजीयन को निरस्त करने के आदेश दिनांक 31.03.2015 को अपास्त किया है। इससे पूर्व समिति के अवसायन व समय समय पर जारी अवसायक नियुक्ति के आदेश के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 31.05.2002 एवं द्वितीय आदेश दिनांक 28.01.2003 एवं अंतिम अवसायन रिपोर्ट में वर्णित अवसायन आदेश दिनांक 21.04.2002 को अपास्त नहीं किया है, जिससे समिति की स्थिति पंजीयन निरस्त करने से पूर्व की अर्थात अवसायनाधीन की रहती है। इस प्रकार समिति का अस्तित्व ही समाप्त होने की स्थिति प्रकट होने से अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 61 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाडोलिया लुहार सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, सोजतसिटी जिला पाली को अवसायन में लाये जाने के आदेश जारी किए तथा धारा 63 (1) के तहत अवसायक नियुक्त किया। इससे यह स्पष्ट है कि उप रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 से पूर्व भी सिलसिलेवार अवसायक नियुक्त किया गया है एवं समिति को अस्तित्वहीन माना है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में उक्त समिति का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यह बिन्दु अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रबल है। अब द्वितीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या समिति द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है ? इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के नियम 5 को उद्धरित किया जाना आवश्यक है। नियम 5 का हू–ब–हू उद्धरण निम्न प्रकार है – (1) आवंटन 25 वर्ष के पट्टे पर होगा, कि जिसका आगामी 25

वर्ष के लिए सहकारी समिति की इच्छा पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। (2) आवंटन उस भूमि पर स्वीकृत लगान की दरों पर लगान अदा करने की शर्त पर किया जायेगा। भूमि के उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में शुल्क व उन्नति शुल्क, यदि कोई हो, सहकारी समिति को देना होगा और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956 और राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलानी) शर्तें, 1955 के प्रावधान लागू होंगे। (3) सहकारी समिति को आवंटित भूमि का 25 प्रतिशत आवंटन के एक वर्ष में काश्त करना पड़ेगा, कम से कम 50 प्रतिशत दो वर्ष में और कुल कृषि योग्य भूमि तीसरे वर्ष व हर साल काश्त करनी पड़ेगी। (4) जिला कलक्टर उस भूमि को मुआवजा बिये बिना ही पुनर्ग्रहण कर सकेगा (क)यदि उसमें उपनियम (3) के ठीक–ठीक अनुपालन में खेती नहीं की गई (ख) उसका उचित उपयोग नहीं किया गया था। (ग) यदि किसी अन्य रीति से शिकमी या किरायेदारी उठा दी गई या हस्तांतरित कर दी गई या (घ) सहकारी समिति विफल हो जाये या घाटे में चली जावे। परन्तु सहकारी समिति इस कुल भूमि या इसके किसी भाग को ऋण प्राप्ति हेतु राजस्थान सेन्ट्रल लैण्ड मोरगेज बैंक या कोओपरेटिव बैंक के हित में सादा रहन कर सकती है। (5) सहकारी समिति को उक्त भूमि में स्थित कुंओं और स्थाई संरचनाऐं यदि कोई हों, की कीमत सरकार को देनी पड़ेगी और उक्त भूमि पर उगे हुए वृक्षों की कीमत टिनेन्सी एक्ट की धारा 80 व 81 प्रयोजनार्थ नियत दरों पर चुकानी पड़ेगी। (6) सहकारी समिति टिनेन्सी एक्ट की धारा 5 के खण्ड (19) में वर्णित एवं निरूपित सुधार की परिभाषा में अन्तर्विष्ट किसी इमारत के अलावा किसी संरचना या इमारत नहीं बनाएगी। (7) सहकारी समिति के किसी सदस्य को व्यक्तिगत खातेदारी अथवा गैर खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

इस सम्बन्ध में रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह साबित करता हो, कि अपीलाण्ट समिति द्वारा पट्टे का नवीनीकरण करवाया गया हो। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा आवंटित भूमि में से कुछ भूमि का हस्तान्तरण भी किया गया है, जो आवंटन शर्तो का उल्लंघन साबित करता है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/राजस्व/11/3455 दिनांक 05.09.2011 में पालना में जो मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, उसमें अंकित किया कि आवंटित भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा भूमि को बांट कर पृथक पृथक काश्त की जा रही है तथा कुछ भूमि खाली पड़ी है एवं कुछ में बडे बडे खड्डे है एवं कुछ भूमि में मलबा पड़ा है, साथ ही यह भी जाहिर किया कि समिति द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के नियम 5 (1) (3) (4) (क से ग) का उल्लंघन किया है। इस कारण अपीलाण्ट के पक्ष में किया गया आवंटन कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन को निरस्त कर भूमि को राजस्व रेकर्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सिवायचक दर्ज करने एवं भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2011 सरकार बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली